


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर,

क्रमांक- प.2(3)(1252)आ.कृ/गुप-7/ 993-99

दिनांक : 1/5/19

-: कार्यालय - आदेश :-

कृषि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 970-78 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा श्री कृष्ण कुमार सोनी कनिष्ठ अभियंता को 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि समाप्त होने व संतोषजनक प्रमाण-पत्र होने पर एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ.6(3) एफ.डी.(रूल्स) 2017/30.10.2017 के नियम-17 अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षीत वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार शैड्यूल-1 पार्ट-बी, रूल्स न0 5 (VI) and (VII) के लेवल संख्या एल-10 की सेल संख्या-1 में वेतन राशि 33800/-रूपये पर वेतन निर्धारित किया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये डॉ0 सुपेन्द्र पाल सिंह संधा संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) के स्थान पर डॉ0 सुपेन्द्र पाल सिंह संधा उप निदेशक कृषि (प्रशासन) पढा जावे।


(सीताराम जाट)


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक- प.2(3)(1252)आ.कृ/गुप-7/ 993-99

दिनांक : 1/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू- संरक्षण, विभाग जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालौर।
3. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशैड सैल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद् जालौर।
4. सहायक अभियन्ता जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति सायल जिला-जालौर।
5. ए.सी.पी. मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय बेवसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करावे।
6. श्री कृष्ण कुमार सोनी कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय- सहायक अभियन्ता जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंचायत समिति सायल जिला-जालौर।
7. निजी / आरक्षी पत्रावली।


(डॉ0 सुपेन्द्र पाल सिंह संधा)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)